

E-Mail

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल 462023
दूरभाष-91-0755-2583650

क्रमांक अनुदान/बी/01(पूरक नस्ती)/2018-19/757
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26-5-2018

जिला शिक्षा अधिकारी
पन्ना, हरदा, छतरपुर, गुना, इन्दौर, सागर,
कटनी, धार, अनूपपुर, भिण्ड, रीवा, आगर-मालवा,
शहडोल एवं खण्डवा मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में भुगतान हेतु बजट आवंटन।

--00--

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक-360/2014 में पारित निर्देश दिनांक 15/1/15 के परिपालन में अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्य कार्यरत शिक्षको/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की चतुर्थ किस्त का भुगतान किया जाना है। तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमांक-एफ-37-10/2014/20-3 दिनांक 28/2/15 से स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त अनुक्रम में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षको/ कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के एरियर राशि की चतुर्थ किस्त एवं नियमित वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट आवंटन निम्न बिन्दुओं के पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

1. उक्त विषय अन्तर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग को दिनांक 1/1/06 से छठवाँ वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन शालेय शिक्षा विभाग के आदेशांक क्रमांक एफ-37-8/2015/20-3 दिनांक 25/7/2015 का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
2. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षको/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के मान से नियमित भुगतान एवं एरियर राशि के भुगतान के पूर्व संस्थाओं का विधिवत् संचालन का सत्यापन कर लिए जाए।
3. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षको/कर्मचारियों को देय एरियर राशि का भुगतान वास्तविक रूप से संचालित शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले को उनकी कार्यरत अवधि का ही किया जाना है।
4. एरियर राशि का भुगतान केवल उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को किया जाना है जो शिक्षण कार्य के लिए संचालित हैं उनमें शिक्षक नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य कर वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हो।
5. शासन के ज्ञाप दिनांक 31/1/2000 द्वारा इन अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया था तदनुसार इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित है। राशि समायोजन के फलस्वरूप कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले से कोई राशि की वसूली नहीं की जाएगी।



6. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को जो राशि भविष्य निधि के लिए प्रदान की गई है उसका भुगतान भविष्य निधि में किया जाकर संबंधित शिक्षक से भी राशि जमा कराई जाए और यदि राशि जमा नहीं कराई गई है तो राशि की गणना कर अब भविष्य निधि में जमा कराई जाए।

7. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में मंहगाई भत्ते एवं गृहभाड़ा भत्ता उसी दर से भुगतान किया जाए, जिस दर से समय-समय पर शासकीय शिक्षको/कर्मचारियों को भी किया गया है।

8. दिनांक 1/4/2000 के उपरान्त संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये शैक्षणिक अमले को अनुदान मद से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाए।

9. अशासकीय शालाओं में स्वीकृत अमले पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि के अनुदान के लिए संचालित पृथक-पृथक योजनाओं को एक ही योजना में समाहित किया गया है। सभी प्रकार के अशासकीय शालाओं के लिए अनुदान निर्धारित मापदण्ड अनुसार इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत/भुगतान किया जावेगा परन्तु प्रत्येक स्वरूप की अशासकीय शाला में व्यय की गई राशि का लेखा संधारण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्य के लिए विशेष रूप से दायित्वपूर्ण होंगे।

स.क्र.	जिला	बजट शीर्ष 27-2202-01-102-9949-V-42-002 अशा.शालाओं को अनुदान				40-2205-00-101-6090- 8888-V-42-002 गायन विद्यालय
		'0101	'0102	'0103	कुल योग	
1	पन्ना 2802003001	46,76,607	10,53,883	8,56,280	65,86,770	0
2	हरदा 1502003001	1,07,38,040	24,19,840	19,66,120	1,51,24,000	0
3	छतरपुर 0602003001	1,57,74,205	35,54,750	28,88,235	2,22,17,190	0
4	गुना 1302003001	1,27,83,703	28,80,834	23,40,678	1,80,05,215	0
5	इंदौर 1712003001	20,16,31,513	4,54,38,088	3,69,18,446	28,39,88,047	10,00,000
6	सागर 3302003002	8,26,82,411	1,86,32,656	1,51,39,033	11,64,54,100	0
7	कटनी 2002003056	7,16,49,279	1,61,46,316	1,31,18,882	10,09,14,477	0
8	धार 1102003002	1,46,08,874	32,92,141	26,74,864	2,05,75,879	0
9	अनूपपुर 4602003011	6,34,531	1,42,993	1,16,182	8,93,706	0
10	भिण्ड 0402003053	11,84,60,796	2,66,95,391	2,16,90,005	16,68,46,192	18,00,000
11	रीवा 3202003002	11,03,11,347	2,48,58,895	2,01,97,852	15,53,68,094	0
12	आगर मालवा	72,77,500	16,40,000	13,32,500	1,02,50,000	0


9

13	शहडोल 3702003001	95,67,663	21,56,093	17,51,826	1,34,75,582	
14	खण्डवा 2102003052	6,75,76,515	1,52,28,510	1,23,73,165	9,51,78,190	0
	योग	72,83,72,984	16,41,40,390	13,33,64,068	1,02,58,77,442	0
						28,00,000

कुल योग:- 1,02,86,77,442/- (शब्दों में रुपये एक अरब दो करोड़ छियासी लाख सतहत्तर हजार चार सौ बयालीस मात्र)

आवंटित की जा रही राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों व एतद् विषयक शासन/विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। विगत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं भेजे गये हों तो तत्काल महालेखाकार को भेजते हुए इस कार्यालय को भी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें एवं इस वर्ष की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को राशि व्यय उपरान्त भेजना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(संयुक्त कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.


पृ.क्रमांक अनुदान/बी/01 (पूरक नस्ती)/2018-19/758

भोपाल, दिनांक 26-5-2018

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 2- सचिव म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
- 4- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, पन्ना, हरदा, छतरपुर, गुना, इन्दौर, सागर, कटनी, धार, अनूपपुर, भिण्ड, रीवा, आगर-मालवा, शहडोल एवं खण्डवा मध्यप्रदेश।
- 5- सहायक संचालक (बजट) स्थानीय की ओर उक्त राशि तत्काल बजट सर्वर में प्रविष्टि कराये जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.